न्यायालयः— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क.—500/11 संस्थापित दिनांक—05.11.2011 Filling no- 235103002612011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।
......अभियोजन
विरुद्ध

1— पवन अहिरवार पुत्र भवूतिया अहिरवार उम्र 38 साल
2— सन्नू पुत्र भवूतिया उम्र 51 साल
निवासीगण— ग्राम चकला बाबडी थाना चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0
......आरोपीगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 12.12.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 336, 323/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 25.08.2011 को समय सुबह 8 बजे स्थान फरियादिया लच्छोबाई के घर के सामने चकला बाबडी लोकस्थल में आपने उसे मां—बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया तथा उपेक्षा एवं उतावलेपन से पत्थर फेककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में लच्छोबाई को चोट पहुँचाकर साधारण उपहति कारित की।
- 02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादिया लच्छोबाई ने थाना चंदेरी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 25.08.2011 को सुबह 8 बजे करीब वह अपने घर के बाहर खडी थी तो उसके पडौसी पवन व सन्नू उसे पुरानी रंजिस पर से मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दे रहे थे, उसने गाली देने से मना किया तो बोले कि उसने उनके भांजे की रिपोर्ट करके जेल में बंद कराया था और पत्थर उठाकर दोनों ने लापरवाही पूर्वक मारे कुछ पत्थर उसके घर में पडे तथा कुछ पत्थर उसे लगे जिससे उसके बांयी आंख के नीचे लगा सूजन आ गई तथा एक पत्थर बांये पैर के घुटने के नीचे तथा एक दांहिने घुटने के नीचे लगा मुंदी चोट आई, एक पत्थर सिर के पीछे की ओर लगा खून निकल आया। उस समय राजेश जैन तथा सोनू खंगार थे जिन्होंने घटना देखी है। पुलिस ने आरोपीगण गिरफ्तार किया गया। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.08.2011 को समय सुबह 8 बजे स्थान फरियादिया लच्छोबाई के घर के सामने चकला बाबडी लोकस्थल में आपने उसे मां—बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से पत्थर फेककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 3. विया घटना दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में लच्छोबाई को चोट पहूँचाकर साधारण उपहित कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय प्रश्न क01:-

अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी लच्छोबाई अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया गया कि वह अभियुक्तगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब 1 साल पूर्व की होकर सुबह 8 बजे की है। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण आए और मां बहन की बुरी-बुरी गालियां दी। विष्णु प्रसाद वि० म०प्र० राज्य 1975 जे.एल.जे 148 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मां बहन की गालियां अश्लीलता की परिधि में नहीं आती है ऐसे शब्द अभद्र तो हो सकते है किन्तु अश्लील नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनिय है कि प्रकरण में स्वयं फरियादिया लच्छोबाई अ0सा01 द्वारा उसके कथनो में स्पष्ट रूप से यह तथ्य भी नहीं आया कि अभियुक्त ने उसे लोक स्थान पर गाली दी थी। भारतीय दण्ड विधान की धारा 294 के अपराध को साबित करने के लिये मात्र इस प्रकार की औपचारिक साक्ष्य थी। अभियुक्त ने गालियां या मां बहन की गालियां दी थी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवचेना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी लच्छोबाई अ०सा०1 को मां बहुन की अश्लील गालियां देकर उसे व सूनने वालो को क्षोभ कारित किया।

विचारणीय प्रश्न क. 2 व 3 :--

- 06— विचारणीय प्रश्न क0 2 व 3 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। लच्छोबाई अ0सा01 ने उसके कथनों में बताया कि आरोपीगण ने रात को गाली गलौच की थी, आरोपीगण सुबह आए और मारपीट करने लगे। दोनो आरोपीगण ने उसे आंगन में से खींचकर घर में से निकालकर मारा। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण का भानेज उनकी लड़की को लेकर भाग गया था जिसकी रिपोर्ट की थी जिससे वह जेल चला गया था। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपीगण ने पत्थर उठाकर मारे जो उसके घर में गिरे और उसमें लगे। उक्त पत्थर उसकी आंख के पास लगे और पैरे में लगे तथा सिर में पीछे की ओर लगे जिससे खून निकल आया था। घटना को राजेश व सोनू ने देखा था। घटना के संबंध में उसके द्वारा प्र.पी.1 की रिपोर्ट की थी। पुलिस मौके पर आई थी और नक्शामौका प्र.पी.2 बनाया था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे और उसका ईलाज चंदेरी अस्पताल में हुआ था। प्र.पी.1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर फरियादी लच्छोबाई अ0सा01 का निशानी अंगुठा होने से उसे उक्त रिपोर्ट पढ़कर सुनाई तो उसने कहा कि उसने वैसी ही रिपोर्ट लिखाई थी।साक्षी ने बताया कि उसने चाकू से मारने वाली बात भी लिखाई थी लेकिन पुलिस ने नहीं लिखी थी।
- 07— प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपीगण आए और उसे घर में से खींचकर आंगन में डालकर पत्थर आदि से मारा और आरोपीगण चाकू भी लिये थे। आरोपीगण 15—20 लोग थे, परन्तु उसे केवल सुन्नू एवं पवन ने मारा था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में बताया कि दोनो आरोपीगण लाठी लिये थे वह यह नहीं बता सकती कि दोनो आरोपीगण में से किसने उसे लाठी से मारा था और किसने हाथों से मारा था। उक्त साक्षी ने स्वतः कहा कि दोनो आरोपीगण ने मारा था, इसके अलावा किसी और ने हाथ नहीं लगाया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि आरोपी सुन्नू व पवन ने उसकी कोई मारपीट नहीं की तथा इस बात से भी इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रही है।
- 08— राजेश अ0सा02, सोनू परिहार अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनो में आरोपीगण एवं फरियादी लच्छोबाई को जानने वाली बात व्यक्त की किन्तु उक्त साक्षीगण ने बताया कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से न्यायालय की अनुमित से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षीगण ने अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया, जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 09— डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०४ ने उसके कथनो में बताया कि वह दिनांक 25.08. 2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में बीएमओ के पद पर पदस्थ था और

उक्त दिनांक को उसके द्वारा थाना चंदेरी के आरक्षक धर्मसिह द्वारा लच्छोबाई को मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था जिसमें उसे एक फटा घाव जो सिर के पीछे ऑक्सीपिटल भाग पर था, नीलगू निशान जो दांहिने घुटने पर सामने की ओर स्थित था, नीलगू निशान जो बांयी टांग के मध्य में सामने की ओर स्थित था, नीलगू निशान जो बांए गाल के मैगजिला भाग पर स्थित था। उक्त समस्त चोटो पर सुजन, दर्द और घाव पर खून के थक्के जमें थे। उक्त चोटे सख्त एवं वोथरी वस्तु से आकर साधारण प्रकृति की थी जो साक्षी के मेडिकल परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी, उसके द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति सीढियों से गिरे तो प्र.पी.5 में वर्णित चोटे आना संभव है, किन्तु यहां यह उल्लेखनिय है कि फरियादी को सीढियों से गिरने से चोट आने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई सुझाब नहीं दिये गये है।

10— एस.एस.गौर अ०सा०५ ने उसके कथनो में बताया कि वह दिनांक 25.08.2011 को थाना चंदेरी में ए.एस.आई के पद पर पदस्थ था और उसके द्वारा अ०क० 367/11 धारा 336, 323, 294 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना में उसके द्वारा फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था और आरोपी पवन व सुन्तू को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 एवं 7 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से स्पष्टतः इंकार किया कि उसने प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही थाने पर बैठकर की।

11— प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर फरियादी लच्छोबाई अ०सा०1 के कथन उपर वर्णित साक्ष्य के अनुरूप ही रहे है और उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी गंभीर विसंगति या दुलर्वलता से ग्रस्त नहीं है और उक्त साक्षी की साक्ष्य इस बात पर सारतः अखण्डनीय रही है कि आरोपी पवन व सुन्नू द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। आहत लच्छोबाई अ०सा०1 को आई हुई चोटो का समर्थन चिकित्सीय साक्षी डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०4 की साक्ष्य से भी होता है। म०प्र० शासन बनाम हमीम खांन 1999 "2" जेएलजेपी—310 में माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि यदि आहत को आई हुई चोटो का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है तो ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है।

12— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी लच्छोबाई अ०सा०1 की साक्ष्य में विरोधाभास है जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। रोकड सिह बनाम म०प्र० राज्य एमपीएलजे 1996 पेज 57 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि

साक्षी द्वारा वृतांत का वर्णन भाषा व तरीके में फेरफार स्वाभाविक है उससे वृतांत की यथार्थता प्रभावित नहीं होती है, इसके विपरीत वृतांत में एक राय से साक्षी को सिखाने पढाने का संकेत मिलता है। जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रसरण में आहत की मारपीट कर उपहित किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी लच्छोबाई अ०सा०1 द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मिलकर उसके साथ मारपीट किया जाना व्यक्त किया है तथा सामान्य आशय का निर्माण घटना स्थल पर भी किया जा सकता है। फिरयादी लच्छोबाई अ०सा०1 के कथन प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डनीय रहे है तथा लच्छोबाई अ०सा०1 के कथनो की संमपुष्टि अविलम्ब सुसंगत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 से भी होती है तथा आहत को आई हुई चोटो का समर्थन डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०4 के कथनो से भी होता है। अभिलेख पर आहत लच्छोबाई अ०सा०1 एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य को खारिज किये जाने हेतु किसी भी प्रकार के बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं है तथा फरियादी लच्छोबाई अ०सा०1 के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है।

13— जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छ्या उपरोक्त उपहित कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्तगण उसके द्वारा किये जा रहे कृत्य एवं उपयोग में लाये गये साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास रखने का कारण रखते थे कि उक्त कृत्य से आहत को उक्तानुसार चोटें आना संभावित है। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार या गंभीर प्रकोपन के परिणामस्वरूप आहत को उपरोक्त चोटें कारित किया जाना दर्शित नहीं है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से स्वयं फरियादी लच्छोबाई अ०साठा या किसी अन्य साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि आरोपीगण द्वारा लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 336 भाठदारण का आरोप प्रमाणित न होने से आरोपीगण को उक्त आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है किन्तु अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34 भाठदाठित का आरोप प्रमाणित होने से दोषसिद्ध पाया जाता है।

14— दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सूने जाने हेतू स्थगित किया जाता हैं।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्चः-

15— उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया हैं। प्रकरण में आहत महिला लच्छोबाई अ०सा०1 को आयी चोटें एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है—

अभियुक्त	भा0दा0वि0 की धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिकम में सश्रम कारावास
पवन	323 / 34	1 माह	500 / -	15 दिन
सुन्नु	323 / 34	1 माह	500 / —	15 दिन

- 16— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 17- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 18- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0